GCMS संख्या 2021/781
प्रकरण संख्या 58/21
श्रीमती बसंतीबाई बनाम लक्ष्मण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2021/781

प्रकरण संख्या 58/21

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

1. श्रीमति बंसतीबाई पत्नि बंशीलाल जोशी निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर।

..................प्रार्थीयां

बनाम

1. श्री लक्ष्मण पिता भाना जी अहीर निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर।
2. श्री भग्गा पिता भाना जी अहीर निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर।
3. श्री भेरूलाल पिता गंगाराम अहीर निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर।
4. श्री मांगीलाल पिता वेणा अहीर निवासी कलवल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर।

.............अप्रार्थीगण

अधिवक्ता प्रार्थी : कमलेश मेनारिया।
अधिवक्ता अप्रार्थी : श्री भूप्रन्द्र कुमार मेनारिया

निर्णय

दिनांक : 06.05.2022

1 प्रार्थीया श्रीमति बसन्तीबाई पत्नि श्री बंशीलाल जोशी निवासी कलवल तहसील भीण्डर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया मौजा कलवल पटवार हल्का वरणी तहसील भीण्डर में स्थित खाता संख्या 111 में आराजी संख्या 630 रकबा 1–14–10 बीघा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया श्रीमति बसन्तीबाई पत्नि श्री बंशीलाल जोशी के नाम दर्ज है। उक्त आराजी के चारो दिशाओं में विपक्षीगण की आराजियात स्थित है जो आये दिन सीमा को को लेकर विवाद होता रहता है। उपरोक्त वर्णित आराजियात पर प्रार्थीया का कब्जा एवं उपभोग चला आ रहा है। अतः प्रार्थीया अपनी उपरोक्त मौजा कलवल पटवार हल्का वरणी तहसील भीण्डर में स्थित खाता संख्या 111 में आराजी संख्या 630 रकबा 1–14–10 बीघा भुमि प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में जरिये तहसीलदार मुक्कमिल तौर पर नपती करवाकर पत्थरगढ़ी करवाकर अपनी आराजी की चारो सीमाओं का निर्धारण [illegible] ती है। इस हेतु प्रार्थीया ने विपक्षीगण से दिनांक 01.10.2020 [illegible] जिससे प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र पेंश करने पर [illegible]

2 प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। [illegible] संख्या 1 से 3 न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए निरन्तर अवसर दिये गये एवं निरन्तर आवाजे दिलाई गई परन्तु उपस्थित नहीं हुए जिससे विपक्षी संख्या 1 से 3 के खिलाफ एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:44:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी एवं अप्रार्थी संख्या 4 श्री मांगीलाल पिता वेणा की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है। कि प्रार्थीया ने जो आराजी संख्या 630 मी. रकबा 1–14–10 बीघा बता रखी है जिसकी जानकारी विपक्षी संख्या 4 को नही है क्योंकि आराजी संख्या 630 मी. नहीं होकर आराजी संख्या 630 है जिसमें विपक्षी सेख्या 4 खातेदार काश्तकार है, तथा विपक्षी ने उक्त जमीन नवला पिता केवला अहीर से क्रय की थी तथा नामांतरण संख्या 795 से विपक्षी मांगीलाल पिता वेणीराम अहिर के पक्ष में आई थी तथा मौके पर आराजी संख्या 630 पर काबिज है। तथा उपरौक्त भूमि पर मौके पर प्रार्थीया का कब्जा नहीं है तथा नही मौके पर किसी भी तरह प्रार्थीया भूमि का उपभोग कर रहे है तथा प्रार्थीया का मौके पर कब्जा नही होने से वो न्यायालय से पत्थरगढ़ी नही करवा सकती, तथा विपक्षी भी उक्त आराजी में खातेदार काश्तकार है जिससे सामलाती खातेदार है इसके आधार पर भी प्रार्थीया पत्थरगढ़ी नही करवा सकती।

3 पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान में पेश हुई जहां प्राथीगण एवं विपक्षी संख्या 4 के अधिवक्ता दोनों कैम्प कोर्ट वरणी में उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 4 पत्थरगढ़ी कराने में सहमत है एवं उनके हस्ताक्षर फर्द अहकाम आदेशिका में लिए गए।

4 हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने एंव प्राथीगण एवं विपक्षीगण की तर्को पर मनन किया गया जिसमें मौजा कलवल पटवार हल्का वरणी, भू.अभिलेख निरीक्षक वृत बड़गांव तहसील भीण्डर के जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या 111 में स्थित आराजी संख्या 630मी. रकबा 1–14–10 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया के नाम दर्ज है जिसकी पत्थरगढ़ी किया जाना उचित प्रतित होता है।

5 तहसीलदार भीण्डर को 500 रूपयें पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिए जाते है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मोजा मौजा कलवल पटवार हल्का वरणी, भू.अभिलेख निरीक्षक वृत बड़गांव तहसील भीण्डर के जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या 111 में स्थित आराजी संख्या 630मी. रकबा 1–14–10 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया के नाम दर्ज है जिसकी **वर्तमान भू. प्रबन्धन के बाद नए खाता नम्बर के नए आराजी नम्बर** की पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जाने के आदेश दिये जाते है।

6 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली [illegible] र होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:44:36 IST
Reason: SelfAttested

6/5/22

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला–उदयपुर(राज.)

Scanned by CamScanner